



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 05 वर्षों से लगातार फरार चल रहे 15000/- के ईनामी
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष चिलकाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा थाना रामपुर मनिहारन पर पंजीकृत मु0अ0सं0—21/2019 धारा—366/376डी/364/120बी भादवि में वर्ष 2019 से लगातार फरार चल रहे पुरस्कार घोषित अपराधी परवेज पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को सुल्तानपुर बाईपास तिराहा से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अभियुक्त पर 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

परवेज पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त परवेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0—21/2019 धारा—366/376डी/364/120बी भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0—293/2019 धारा—174ए भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 1059 अनुज राणा थाना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 15000/- रुपये का इनामी वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 15000/- रुपये का इनामी एनबीडब्लू वारन्टी अभियुक्त शमशेर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अनूपगढ थाना सदर जनपद जीन्द हरियाणा सम्बन्धित वाद सं0 – 2568/18 व मु0अ0सं0 331/17 धारा 182/195/420/468/471 भादवि चालानी थाना देवबन्द को पिलर नम्बर-2 देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यावाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमशेर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी अनूपगढ थाना सदर जनपद जिन्द हरियाणा उम्र करीब 54 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 366/2018 धारा 174-ए थाना देवबन्द सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 राकेश पवॉर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- उ0नि0 विकास चारण थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- है0का0 655 कमलेश यादव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 4- का0 1492 कपिल राणा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 5- का0 976 गौरव दांगी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 6- का0 70 उज्ज्वल कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक- 20.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. गुलबहार उर्फ पांडा पुत्र सुलेमान नि0 मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 142/22 मु0अ0स0 235/21 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट में व 2. चन्द्रभान पुत्र कुवरपाल सिंह नि0 ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0 2281/19 धारा 323/324/504 भादवि में गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. गुलबहार उर्फ पांडा पुत्र सुलेमान नि0 मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. चन्द्रभान पुत्र कुवरपाल सिंह नि0 ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री भुपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2543 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का0 2428 अजय कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त योगेश उर्फ पकोडी पुत्र पदमसिंह निवासी ग्राम अनंतमऊ थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को हमामपुर नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त योगेश उर्फ पकोडी उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 213/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमंचा मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम व पता नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

योगेश उर्फ पकोडी पुत्र पदमसिंह निवासी ग्राम अनंतमऊ थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद तमन्चा 315 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 02/23 धारा 380/411 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
- मु0अ0स0 107/20 धारा 380,411,414 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
- मु0अ0स0 292/22 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
- मु0अ0स0 214/22 धारा 379/411 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
- मु0अ0स0 213/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- उ0नि0 श्री रामचरण सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- है0का0 490 अरविन्द थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- का0 2228 हरिभान थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को नाजायज चाकू सहित किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चौकी के दौरान 01 शातिर अभियुक्त दिनेश पुत्र शंकरलाल नि0 चन्द्रलोक कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को एक अवैध चाकू सहित ग्राम हाकमपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर 396/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ तथा छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। लोगो को डराने धमकाने व लोगो पर रौब जमाने के लिये अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिनेश पुत्र शंकरलाल नि0 चन्द्रलोक कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 309/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना को0नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सोनू कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
2. का0 2420 विष्णु कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 1432 राजकुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर घटना मे प्रयुक्त 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा/01 खोका कारतूस किया गया

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2024 को वादी हर्ष कुमार पुत्र ऋषिपाल नि० ग्राम रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर बाबत अभियुक्तगण द्वारा आपस मे झगडा करना व एक दुसरे पक्ष पर गोली चलाना जिसमे एक गोली वादी के चचेरे भाई अमन उर्फ साहिल पुत्र नरेश नि० ग्राम रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर के दाये पैर मे लग जाने के सम्बन्ध मे थाना को०देहात जनपद सहारनपुर पर मु०अ०सं० 361/24 धारा 191(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के खुलासे व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना को०देहात पर एक टीम गठित की गयी थी। मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त गण को पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है, एक अभियुक्त अभि० विकास उर्फ विककी पुत्र ओमीचन्द निवासी ग्राम टोपरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पूर्व से जेल मे निरुद्ध था। जेल मे निरुद्ध अभियुक्त विकास उर्फ विककी उपरोक्त को मा० न्यायालय से आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 20.09.2024 को पीसीआर रिमाण्ड पर लेकर घटना मे प्रयुक्त एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कार० .315 बोर व 01 खोखा कार० .315 बोर अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पीसीआर पर लिये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

विकास उर्फ विककी पुत्र ओमीचन्द निवासी ग्राम टोपरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर,
- 01 खोखा कारतूस 315

पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. उ०नि० श्री अभिषेक कुशवाह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. है०का० 839 कपिल राणा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. का० 1551 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20-09-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया 01 मोबाइल फोन

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2024 को वादी रिजवान पुत्र सराजू नि० मौ० मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि विद्यार्थी चौक पर कपडे की दुकान से वादी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु०अ०सं०- 415/24 धारा 303(ए) बीएनएस बनाम मुर्सलीन पुत्र जिशान ग्राम ताताहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मुर्सलीन पुत्र जीशान निवासी ग्राम ताताहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ननौता चौक से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये गये मोबाइल फोन को बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने उक्त मोबाइल दिनांक 25/08/2024 को विद्यार्थी चौक पर स्थित कपड़े की दुकान से चोरी किया था। मैं लालच में आ गया था मोबाइल के सिम के बारे में पूछा तो बताया कि कुछ दिन पहले मैंने वह सिम तोड़कर कहीं फेंक दिया जगह मुझे याद नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुर्सलीन पुत्र जीशान निवासी ग्राम ताताहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 290/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. म०उ०नि० सिमरन कमलेश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां० 2452 रक्षित चाहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक- 20.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से हरे आम की लकड़ी से लदे 02 ट्रैक्टर ट्राली बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट प्रयवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तेवतिया फोर्स के साथ भगवानपुर रोड पर गश्त में मामूर थे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुस्तकीम पुत्र कुर्बान नि0 ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी के आम के बाग मे कुछ लोग प्रतिबन्धित हरे आम के पेड काट की लकड़ी काटकर ले जा रहे हैं। पुलिस पार्टी द्वारा दो ट्रैक्टर ट्राली जिनपर आम के पेड के गुटके लदे थे बरामद किये तथा आम के पेड काटने वाले 05 अभियुक्तगण 1- अनीस पुत्र इस्लाम 2- फुरकान पुत्र इस्लाम 3- आमिर पुत्र रियासत 4- वसीम पुत्र दिलशाद 5- शेरखान पुत्र रियासत समस्त निवासीगण ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से दो ट्रैक्टर ट्राली 01 एक लोहे का आरा बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0- 194/24 धारा- 4/10 वन अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अनीस पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. फुरकान पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. आमिर पुत्र रियासत नि0 ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. वसीम पुत्र दिलशाद नि0 ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. शेरखान पुत्र रियासत नि0 ग्राम अमरपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 ट्रैक्टर Mahindra 475Di रजि. न.UK08 Q3084 मय ट्राली जिसपर आम के हरे पेड के 15 गुटके लदे हैं।
- 01 ट्रैक्टर Mahindra 575Di मय ट्राली जिसपर आम के हरे पेड के 07 गुटके लदे हैं।
- 01 लोहे का आरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तेवतिया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 641 रवि कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1011 नरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 317 सुनील कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. का0 1831 सरलप्रताप थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 2344 प्रवीण कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. का0 2164 जसवन्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त आसिफ पुत्र लईक अहमद मौ0 दाऊद सराय सिराजान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मौ0 दाऊद सिराजान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का** बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 280/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त आसिफ उपरोक्त ने बताया कि मैं यह शराब हरियाणा से खरीदकर लाता हूँ तथा यहाँ लाकर चोरी छिपे अधिक दामो पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आसिफ पुत्र लईक अहमद मौ0 दाऊद सराय सिराजान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आसिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 124/11 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना सदर बाजार
- मु0अ0सं0 303/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कुतुबशेर
- मु0अ0सं0 78/2013 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर
- मु0अ0सं0 77/2013 धारा 398/401 भादवि थाना कुतुबशेर
- मु0अ0सं0 004/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली नगर
- मु0अ0सं0 63/24 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर

बरामदगी का विवरण:-

24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री असगर अली, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- का0 1811 राहुल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- का0 1061 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 20-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 सहारनपुर द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास में चार अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष कारावास व 1 लाख 62 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2018 को वादी श्री जिन्दा हसन पुत्र सीदा निवासी रणडौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर को अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र नजीर नि0 रणडौल थाना बेहट 2.नदीम पुत्र नजीर नि0 रणडौल थाना बेहट 3. दिलशाद पुत्र वहीद नि0 रणडौल थाना बेहट 4.गुड्डू उर्फ ब्रजपाल पुत्र ओमप्रकाश नि0 रुहालकी थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ एकराय होकर मारपीट करना तथा प्राणघातक चोट पहुँचाने की सूचना पर मु0अ0सं0 36/2018 धारा 452,323,308,504,506,34,354क,354ख भादवि थाना बेहट पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 627/2018 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 20.09.24 को अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र नजीर 2.नदीम पुत्र नजीर 3. दिलशाद पुत्र वहीद 4.गुड्डू उर्फ ब्रजपाल पुत्र ओमप्रकाश को मु0अ0सं0 36/2018 धारा 452,323,308,504,506,34,354क,354ख भादवि के दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का कारावास व 1 लाख 62 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट-अभियुक्त वसीम को धारा 354क, व 354ख भादवि में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक उप निरीक्षक नरेन्द्र सिंह

पैरोकार का0 1752 रवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर